मु0न0:— 29/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोड़ाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांकः— 28.03.2024

मु0न0 29/2024

पीठासीन अधिकारीः— सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. राजूसिंह पुत्र हरवीर
2. तारासिह पुत्र हरवीर
   जातियान गूर्जर निवासी झाडीसा तहसील टोडाभीम। वादीगण

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी

दावा बावत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः— श्री कृष्ण कान्त मित्तल एडवोकेट

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय 30.05.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झाडीसा की जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के ख0न0 1550/0.29, 1591/0.48, 921/0.19, 922/0.05, 1470/0.02, 1473/0.02, 1474/0.05, 1477/0.01, 1478/0.01, 1481/0.01, 1482/0.02, 1485/0.02, 1486/0.04, 1660/0.49, 1671/0.01, 1675/0.13, 1676/0.14, 1678/0.15, 895/0.14, 896/0.14, 897/0.02, 898/0.25, 967/0.04, 1741/1625/0.34, 864/0.45, 864/1704/0.30, 865/0.31, 866/0.05, 968/0.33, 1016/0.20, 1098/0.12, 1099/0.17, 1221/0.14, 1222/0.42, 1223/0.27, 1224/0.10, 1225/0.19, 1226/0.17, 1227/0.27, 1449/0.03, 1450/0.03, 1451/0.06, 1452/0.03, 1453/0.03, 1454/0.06, 787/0.10, 724/0.22, 1421/0.21, 1469/0.08, 1471/0.05, 1472/0.11, 1489/0.15, 1491/0.17, 1503/0.09, 1549/0.24, 1589/2.15, 1590/0.05, 1592/0.04, 1673/1720/0.11, 1683/0.28, 1017/0.10, 1018/0.08, 1019/0.08, 1020/0.19, 1169/0.22, 1171/0.18, 1172/0.10, 1173/0.26, 969/0.12, 972/0.07, 973/0.12, 974/0.14, 975/0.05, 987/0.23, 989/0.24, 1095/0.39, 758/0.08, 759/0.09, 760/0.08 है0 मे वादगण का नाम राजकुमार, ताराचन्द पि0 हरवीर दर्ज है जो कि गलत नाम है, सही नाम राजूसिंह व तारासिंह है तथा इसी अनुरूप नाम की दरूस्ती किया जाना न्यायसंगत है। वर्णित आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजी है जो अपने पिता हरवीर से विरासत मे मिली है तथा विरासत का नामांतरण [illegible] हुआ है, सीमा पुत्री हरवीर, कमला पत्नि हरवीर सही नाम दर्ज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:26:04 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि वादीगण के आधारकार्ड, मूलनिवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, पैनकार्ड, चरित्रप्रमाण पत्र, मे सही राम राजू सिंह व तारा सिह ही है, वादीगण अशिक्षित काश्तकार आदमी है, तथा वरवक्त नामांतकरण विरासत बाहर मजूदरी करने चले गये थे तथा किसी व्यक्ति ने यह अशुद्व नाम लिखा दिये थे, जिसकी जानकारी वादीगण को नही थी। वादीगण ने

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

तहसीलदार टोडाभीम से रिकार्ड जमाबन्दी मे नाम दुरूस्ती के संबध मे निवेदन किया तब उन्होने कहा कि दुरूस्ती का दावा पेश करो तब ही दुरूस्ती हो सकती है। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी बावत इस्तकरारहक डिकी किया जाकर ग्राम झाडीसा की आराजी ख0न0 1550/0.29, 1591/0.48, 921/0.19, 922/0.05, 1470/0.02, 1473/0.02, 1474/0.05, 1477/0.01, 1478/0.01, 1481/0.01, 1482/0.02, 1485/0.02, 1486/0.04, 1660/0.49, 1671/0.01, 1675/0.13, 1676/0.14, 1678/0.15, 895/0.14, 896/0.14, 897/0.02, 898/0.25, 967/0.04, 1741/1625/0.34, 864/0.45, 864/1704/0.30, 865/0.31, 866/0.05, 968/0.33, 1016/0.20, 1098/0.12, 1099/0.17, 1221/0.14, 1222/0.42, 1223/0.27, 1224/0.10, 1225/0.19, 1226/0.17, 1227/0.27, 1449/0.03, 1450/0.03, 1451/0.06, 1452/0.03, 1453/0.03, 1454/0.06, 787/0.10, 724/0.22, 1421/0.21, 1469/0.08, 1471/0.05, 1472/0.11, 1489/0.15, 1491/0.17, 1503/0.09, 1549/0.24, 1589/2.15, 1590/0.05, 1592/0.04, 1673/1720/0.11, 1683/0.28, 1017/0.10, 1018/0.08, 1019/0.08, 1020/0.19, 1169/0.22, 1171/0.18, 1172/0.10, 1173/0.26, 969/0.12, 972/0.07, 973/0.12, 974/0.14, 975/0.05, 987/0.23, 989/0.24, 1095/0.39, 758/0.08, 759/0.09, 760/0.08 है0 मे राजकुमार पुत्र हरवीर के स्थान पर राजू सिंह पुत्र हरवीर, तथा ताराचन्द पुत्र हरवीर के स्थान पर तारा सिंह पुत्र हरवीर सिंह दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे राजकुमार, ताराचन्द पि. हरवीर दर्ज रिकार्ड हैं वादीगण के दस्तावेजात आधारकार्ड, मूलनिवास प्रमाण पत्र, एवं पहचान पत्र मे वादीगण का नाम राजू सिंह व तारा सिंह दर्ज है। तथा राजकुमार पुत्र हरवीर व राजू सिह तथा ताराचन्द पुत्र हरवीर व तारा सिंह पुत्र हरवीर सिंह एक ही व्यक्ति है। अतः उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे शुद्व किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादीगण का नाम राजकुमार, ताराचन्द पि. हरवीर दर्ज रिकार्ड है। जबकि वादीगण का सही नाम राजूसिंह, तारा सिह पि0 हरवीर है वादीगण के समस्त दस्तावेजात मे राजू सिह व तारा सिह का अंकन है। इसलिये वर्णित आराजीयात मे वादीगण का नाम राजकुमार, ताराचन्द पि0 हरवीर के स्थान पर राजूसिंह, तारासिंह पि0 हरवीर दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने जबाब/रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे राजकुमार, ताराचन्द पि. हरवीर दर्ज रिकार्ड हैं वादीगण के दस्तावेजात आधारकार्ड, मूलनिवास प्रमाण पत्र, एवं पहचान पत्र मे वादीगण का नाम राजूसिंह व तारासिंह दर्ज है। तथा राजकुमार पुत्र हरवीर व राजूसिंह तथा ताराचन्द पुत्र हरवीर व तारासिंह पुत्र हरवीर सिंह एक ही व्यक्ति है। अतः उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे शुद्व किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:26:04 IST
Reason: SelfAttested

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम आरेज की जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 103, 135, 92, 60, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 136, मे वादीगण का नाम राजकुमार पुत्र हरवीर तथा ताराचन्द

(सुनीता मीना)

पुत्र हरवीर मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल वादी न0 1 का आधार कार्ड न0 4505 7172 4720,, आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड न0 ए.के.एल.पी. जी 6356 एन, ड्राईविंग लाईसेन्स न0 20060482832, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र कमांक 3023 दिनांक 26.7.2000, राशनकार्ड न0 00172 मे राजूसिंह पुत्र हरवीर का अंकन है। तथा वादी न0 2 का सैकण्डरी व उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका, मूलनिवास प्रमाण पत्र कमांक 2215 दिनांक 19.06.2009, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र कमांक:— एस.जे.पी./0324244, मे तारा सिह पुत्र हरवीर का अकन है। इसी अनुरूप तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट व बहस मे नाम दुरूस्ती करने की अभिशंषा की है। उक्त विवेचन अनुसार वादी का दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अत: ग्राम झाडीसा की आराजी ख0न0 1550/0.29, 1591/0.48, 921/0.19, 922/0.05, 1470/0.02, 1473/0.02, 1474/0.05, 1477/0.01, 1478/0.01, 1481/0.01, 1482/0.02, 1485/0.02, 1486/0.04, 1660/0.49, 1671/0.01, 1675/0.13, 1676/0.14, 1678/0.15, 895/0.14, 896/0.14, 897/0.02, 898/0.25, 967/0.04, 1741/1625/0.34, 864/0.45, 864/1704/0.30, 865/0.31, 866/0.05, 968/0.33, 1016/0.20, 1098/0.12, 1099/0.17, 1221/0.14, 1222/0.42, 1223/0.27, 1224/0.10, 1225/0.19, 1226/0.17, 1227/0.27, 1449/0.03, 1450/0.03, 1451/0.06, 1452/0.03, 1453/0.03, 1454/0.06, 787/0.10, 724/0.22, 1421/0.21, 1469/0.08, 1471/0.05, 1472/0.11, 1489/0.15, 1491/0.17, 1503/0.09, 1549/0.24, 1589/2.15, 1590/0.05, 1592/0.04, 1673/1720/0.11, 1683/0.28, 1017/0.10, 1018/0.08, 1019/0.08, 1020/0.19, 1169/0.22, 1171/0.18, 1172/0.10, 1173/0.26, 969/0.12, 972/0.07, 973/0.12, 974/0.14, 975/0.05, 987/0.23, 989/0.24, 1095/0.39, 758/0.08, 759/0.09, 760/0.08 है0 मे राजकुमार पुत्र हरवीर के स्थान पर राजू सिंह तथा ताराचन्द पुत्र हरवीर के स्थान पर तारा सिंह पुत्र हरवीर सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)

सहायक कलक्टर

जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:26:04 IST
Reason: SelfAttested